न्यायालय उपखण्ड अधिकारी : भुसावर
उनवान : नैमीचन्द बनाम कैलाशा
मु. नं. 150/25 (2025/470) प्रा. पत्र 212 RTA

03-12-25

आज यह पत्रावली पेश हुई। ~~तामील~~ वकील प्रार्थी उपस्थित। तामील स्टेटस पेश किये। प्रतिवादी बाद तामील उपस्थित नहीं आया। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाती है। बहस पर प्रार्थी वकील को सुना गया। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भलीभांति अवलोकन किया गया। जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आराजियात के संबंध में पक्षकारान के हकों का निर्धारण साक्ष्य व सबूतों के परीक्षण के उपरांत हो सकेगा।

ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमे बाजी नहीं बढे एवं कानूनी पेचीदगीयां पैदा नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाता है। तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी शुदा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.10.2025 को ता फैसला मूलवाद कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03-12-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा संलग्न मूल वाद हो।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०।